

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम गजेन्द्र राजपूत

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-39 सन्-2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-39/2022 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 30.09.2022 | <p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम जटवाड़ा में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा न0 781 रकबा 0.81 पर गैरसायल गजेन्द्र पुत्र केहरी जाति राजपूत निवासी जटवाड़ा द्वारा मेड़ बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा सीमाज्ञान हेतु मौखिक रूप से निवेदन किया गया एवं सीमाज्ञान पश्चात् स्वयं के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.095 रूपये का 50 गुणा 5 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>रा0 नं0 सा0 4 वर्ष-2022-23 की पू0 सं0-64-पर-5 रु 7 मांग कायम की गई। तहसील राजस्व तख़ाका</p> | |

नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)

